न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 139/2020

अनवान : –

1. महावीर प्रसाद पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।।

– प्रार्थी

1. परमेश्वरी पत्नी रामदयाल जाति जाट निवासी नगरासरी हाल टोपरिया तहसील नोहर।
2. बाधो देवी पुत्री तेजाराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. निको देवी पुत्री तेजाराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
4. विमला पुत्री तेजाराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 07/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता स0 46/38 की कुल 4.4260 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के नाम 1/4 हिस्स भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता स0 46/38 की कुल 4.4260 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता स0 69/63 की कुल 2.3010 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता स0 46/38 की कुल 4.4260 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम व प्रतिवादी स0 1 ता 2 प्रत्येक के नाम 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

तेजाराम पुत्र श्योजीराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर ने अपने जीवनकाल में अपने नाम दर्ज कृषि भूमि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता सं. 32/31 के ख.न. 171 की 4.426 हैक्टर भूमि की वसीयत सायल के पक्ष में करवा दी थी। तथा सायल की सेवा से प्रसन्न होकर ही दिनांक 6.1.2004 को वसीयत नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दी थी। तथा मुताबिक वसीयत के अनुसार उपरोक्त कृषि भूमि का सायल अकेला खातेदार काश्तकार है तथा तेजाराम पुत्र श्योजीराम जाति जाट निवासी नगरासरी दिनांक 12.4.2007 को फौत हो चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:16:28 IST
Reason: SelfAttested

तेजाराम पुत्र श्योजीराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर की फौतदगी के बाद उनके नाम दर्ज कृषि भूमि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता सं. 32/31 के ख. न. 171 की 4.426 हैक्टर भूमि का गैरसायलान सं. 1 ता 4 को वसीयत का ज्ञान होते हुऐ वादग्रस्त भूमि का गैरसायल सं. 1 ने विरास्तन नामान्तरण गैरसायलान सं. 1 ता 4 के नाम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करवा लिया एवं गैरसायलान सं. 3 ता 4 ने सायल के पक्ष में अपना हक व हिस्से में आई भूमि का दान पत्र करवा दिया है। एवं गैरसायलान सं. 3 व 4 ने सायल के पक्ष में अपने हक व हिस्सा का दान पत्र करवा दिया जो कि क्योंकि वसीयत का ज्ञान था। एवं विरास्तन नामान्तरण गैरसायल सं. 1 द्वारा कतई गलत तौर से दर्ज करवाया गया है। नामान्तरण गैरसायल सं. 1 द्वारा कतई गलत तौर से दर्ज करवाया गया है।

गैरसायल सं. 1 जो तेजाराम के पुत्र रामदयाल की पत्नी ने तेजाराम के खिलाफ ने माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर में एक वाद संख्या 223 सन् 1986 परमेश्वरी बनाम तेजाराम पेश किया था जिसमें परमेश्वरी एवं तेजाराम का राजीनामा हो गया है। तथा मुताबिक राजीनामा के अनुसार तेजाराम के नाम दर्ज कृषि भूमि ख.न. 185/213 की 9 बीघा 2 बिस्वा गैरसायल सं. 1 को दे दी गई तथा उपरोक्त राजीनामा में गैरसायल सं. 1 के साथ यह हुआ था कि तेजाराम के नाम दर्ज अन्य कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नही रहेगा। तथा मुताबिक राजीनामा के अनुसार गैरसायल सं. 1 पाबन्द रहेगी तथा तेजाराम के नाम दर्ज अन्य कृषि भूमि कोई हक व हिस्सा नही रहेगा। मुताबिक राजीनामा के अनुसार रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता सं. 46/38 के ख.न. 171 की 4.4260 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा था एवं सायल के नाम उपरोक्त कृषि भूमि मुताबिक वसीयत के अनुसार दर्ज होनी चाहिए थी। परन्तु गैरसायल सं. 1 के द्वारा विरास्तन नामान्तरण कतई गलत करवाया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता स0 46/38 के ख0न0 171 की कुल 4.4260 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि जो की स्व. तेजाराम पुत्र श्योजीराम के देहान्त के बाद विरास्तन नामान्तकरण संख्या 466 दिनांक 18.08.2020 से प्राप्त भूमि है जिसका विरास्तन दर्ज होने का ज्ञान भलीभांती था तथा विरास्तन नामान्तकरण मृत्यु के लगभग 13 वर्षों बाद विधिवत रूप से बिना किसी जल्दबाजी के विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करवाया गया है तथा विरास्तन नामान्तकरण के उपरान्त सायल ने अपनी माता व मासी से जरिये दान-पत्र भूमि प्राप्त की है जिसका नामान्तकरण संख्या 476 दिनांक 23.09.2020 को दर्ज होकर 24.09.2020 को मंजूर हुआ तथा उक्त भूमि से सम्बधित कोई वसीयत तस्दीक नही करवाई गई थी अगर भूमि बाबत् कोई वसीयत होती तो सायल विरास्तन नामान्तकरण व अपनी माता व मासी से दान की बजाय उक्त वसीयत की पालना करवा सकता था। उक्त विरास्तन नामान्तकरण से सभी वारिसान के हक व हिस्से की भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई है तथा सायल की माता को भी उक्त भूमि में विरास्तन नामान्तकरण से हक व हिस्सा अनुसार भूमि प्राप्त हुई है। जिसे बाद में सायल ने जरिये दान-पत्र माता व मोसी से अपने नाम करवा ली है। वाद भूमि विरासत में प्राप्त भूमि है ओर विरासत में प्राप्त भूमि में किसी भी जायज का[illegible]न को हक व हिस्से से वंचित नही किया जा सकता है इसलिए उक्त विरास्तन [illegible] वारिसान के हक व हिस्से के मुताबिक सही दर्ज हुआ है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:16:28 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि की सायल के पक्ष में वसीयत की गई है जबकि अप्रार्थी स0 1 ता 2 ने अनुचित तरीके से उक्त भूमि को विरासतन अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि तेजाराम द्वारा वादी के पक्ष में उक्त भूमि की वसीयत की गई थी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 06.01.2004 की चित्रप्रति की अनुसार ख0न0 171 की भूमि की वसीयत तेजाराम द्वारा वादी के पक्ष में की गई है जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 ता 4 के नाम दर्ज है। वादी द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा हेतु वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 में न्यायालय में विचाराधीन है अतः वाद भूमि विरासतन सही दर्ज हुई है या नही तथा वादी मुताबिक वसीयत अपने हकों की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है या नही उक्त बिन्दु मूल वाद के निर्णय में तय होने है , उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की अप्रार्थीगण के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि प्रार्थीग के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता स0 46/38 के ख0न0 171 की कुल 4.4260 हैक्ट भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:16:28 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर